माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के सन्दर्भ में उनकी शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन

दयालबाग़ एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट

(डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग़, आगरा

की पी–एच०डी० (शिक्षा) की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध अध्ययन की संशोधित रूपरेखा

(2017-18)

शोध निर्देशक

डा० पी०एस० त्यागी
प्रोफेसर

शोधार्थी

सतीश बाबू

विभागाध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख

प्रो० के०सी० वशिष्ठ

(शिक्षा विभाग)
दयालबाग़ एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय),
दयालबाग़, आगरा

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी शैक्षिणिक एवं गैर–शैक्षिणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन

1.1.0 प्रस्तावना

भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों में निरूपित किया गया है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशानिर्देशन प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक समाज में बच्चे के समुचित समावेषण हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके। समावेषण की ठोस प्रक्रिया प्रतीकात्मक लोकतंत्र से भागीदारी आधारित लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है।

समावेशी समाज का विकास उसमें निहित सम्पूर्ण मानवीय क्षमता के कुशलतापूर्वक उपभोग पर निर्भर करता है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के बिना समावेशी समाज का विकास सम्भव नहीं हो सकता है। शिक्षा समावेषण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण औजार है। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका के लिए तैयारी करता है, वहीं दूसरी ओर समावेषण में बाधक तत्वों से निबटने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है।

समावेषण शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेषण के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेषण को परिभाषित करता है। समावेषण की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है,

बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

बच्चों का समाजीकरण एक समान प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता, अतः समावेषण की प्रक्रिया भी एक समान नहीं रहती है। जिससे बच्चे के लिए वर्ण, जाति, लिंग, न्याय एवं लोकतंत्र के नजरिए प्रभावित होते हैं। जब इस प्रकार के नजरिए की कई दृष्टियों से बल मिलता है तो ये मूल्यों में बदल जाते हैं। ये मूल्य संस्कृति में तत्पश्चात विचारधाराओं में बदलने की प्रक्रिया इसी क्रम की अगली श्रृंखला होती है। यह दुश्चक्र बार–बार के अनुभवों के पुनर्बलन से मजबूत होता जाता है। अतः इस दुश्चक्र को तोडने के लिए बच्चे के अनुभवों में बदलाव लाना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि बदलाव लाने बाला अनुभव बहुत सशक्त होना चाहिए जिससे पुराने अनुभवों को परिवर्तित करने या बदलने में मदद मिल सके। इस प्रकार बच्चे को परिवार, विद्यालय एवं समाज से ऐसे समावेशी अनुभव, समावेशी व्यवहार, समावेशी विश्वास एवं समावेशी संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वह एक ऐसे लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में विकसित हो सके जो समावेषण के मूल्यों में दृढ़ आस्था रखता हो

बच्चों को समाज में जो अनुभव, संस्कृति या मूल्य प्राप्त होते हैं, वह कहीं न कहीं विद्यालय में उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होते हैं। हमारे समाज में विद्यमान असमानताएँ हमारी शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं।

इस प्रकार समावेषण की प्रक्रिया के पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा सरोकार बच्चे के समावेषण की दो महत्वपूर्ण एजेन्सियों– परिवार एवं विद्यालय से है।

बच्चे के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। इसे अस्वीकारने का कोई ठोस आधार भी नहीं है। इस समाजीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं, परन्तु इतना तय है

कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की अहम् भूमिका होती है। परिवार में बच्चे के समाजीकरण की उचित प्रक्रिया समावेषण हेतु आधार भूमि तैयार करती है। एक सामान्य बच्चे के सन्दर्भ में यह बहुत जरूरी है, लेकिन एक विशेष आवश्कता वाले बच्चे के लिए इसके गहन निहितार्थ हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेषण का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेषण से होकर गुजरता है। परिवार लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रश्रय देता है। अगर परिवार में निर्णयों में सहभागिता है, परिवार में सभी को अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के समान अवसर हैं तब इतना निश्चित है कि समावेषण के बारे में बच्चे के मजबूत सकारात्मक अनुभव होंगे। इसके उलट होने की स्थिति में बच्चा समावेषण के बारे में नकारात्मक अनुभव ग्रहण करेगा। यह बात बहुत अधिक सतही लग सकती है, परन्तु इसके गम्भीर निहितार्थ हैं।

उदाहरण के लिए परिवार में खान–पान, शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति आदि के बारे में निर्णय एवं सहभागिता में लैगिक आधार पर विभेद किया जाता है या नहीं किया जाता है। परिवार में या आसपास मौजूद शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष चुनौती वाले व्यक्तियों के प्रति परिवार का नजरिया किस प्रकार का है। समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपवंचित वर्गों के व्यक्तियों के प्रति परिवार का नजरिया किस प्रकार का है। परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे– समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि मूल्यों के लिए पोषक वातावरण है या नहीं। इस प्रकार परिवार एवं परिवेश से प्राप्त समावेशी अनुभव, व्यवहार, विश्वास एवं संस्कृति के आधार पर बच्चे में समावेशी मूल्यों का विकास होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेषण का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेषण से गुजरता है।

विद्यार्थी परिवार के बाद जिस लघु समाज से परिचित होता है वह उसका विद्यालय समाज होता है। बच्चा अपने परिवार से कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य लेकर विद्यालय में आता है। यहाँ पर विद्यालय एवं शिक्षा तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे– बच्चा समावेषण के बारे में जो भी नकारात्मक अनुभव, विश्वास, संस्कृति एवं मूल्य लेकर विद्यालय आता है, उनका परिमार्जन करने हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करें। विद्यालय में निश्चित रूप से कुछ

बच्चे समावेषण के बारे में सकारात्मक अनुभव, विश्वास, संस्कृति एवं मूल्य लेकर भी आते हैं, इनको फलने फूलने एवं अन्य बच्चों के साथ साझा करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराएँ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे की विभिन्नताओं जैसे– शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने के समान अवसर मिल सके। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्षा–कक्ष में ंउचित वातावरण मिल सके ताकि वे आत्म विश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी सम्प्रेषण आदि गुणों को स्वंय में विकसित करते हुए सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें।

इस प्रकार शिक्षा तंत्र में समावेषण में बाधा पहुँचाने वाले कारक भी हैं जिनमें प्रथम है बहुपरती शिक्षा प्रणालीः जो हमारे देश में विभिन्न स्तर एवं श्रेणियों के विद्यालय मौजूद हैं जिससे इनमें उपलब्ध शिक्षा अनुभवों में भारी फर्क है जिससे समाज में असमानताओं को कम करने में कोई मदद नहीं मिलती है। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली द्वारा सृजित असमानता हासिये पर स्थित बच्चे के बहिष्करण का कारक बनती है। हमारी शिक्षा प्रक्रिया समावेषण के बजाय बहिष्करण को बढ़ावा देती है। भेदभावपूर्ण एवं असमानता पर आधारित शिक्षा प्रणाली हासिये पर स्थित बच्चों के समावेषण में कोई मदद नहीं करती है।

बहिष्करण की दृष्टि से दो संवेदनशील समूह हैं– पहला, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक आधार पर विशेष जरूरतों वाले बच्चे। और दूसरा, शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष जरूरतों वाले बच्चे। समावेशी समाज का निर्माण करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। समाज के प्रत्येक वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के अवसर सुनिश्चित किये जा सकते हैं। समावेषण के प्रति सक्रिय, सचेत एवं सहभागी दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है।

तत्पश्चात द्वितीय है दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणालीः जो हमारी शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को भयादोहन के सशक्त औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में असफलता के लिए अधिगमकर्ता को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है। शिक्षा प्रणालीं की कोई जवाबदेही तय नहीं है। बच्चे के लिए शिक्षा का अर्थ परीक्षा पास करना होता है और शिक्षक का उद्देश्य परीक्षा पास करने के लिए मशीनीकृत ढ़ंग से बच्चे को इसके लिए तैयार करना। इतना ही नहीं दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली बच्चे के समुचित समावेषण में बाधाएँ खड़ी करती है।

दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली बच्चे को कुछ विषय विशेष में असफल घोषित करके छलनी का काम करती है। इस प्रकार शिक्षा से समावेषण में बाधा पहुँचती है। परीक्षा प्रधान शिक्षा प्रणाली बच्चों को बाहर धकेलने के औजार के रूप में प्रच्छन्न भूमिका का निर्वहन करती है। परीक्षा के भय एवं असफल होकर बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा तंत्र से बाहर हो जाते हैं।

परीक्षा में असफलता के लिए एकमात्र बच्चे को जिम्मेदार मान लिया जाता है। सीखने–सिखाने के तौर तरीके, शिक्षण–अधिगम सामग्री, शिक्षण विधियों एवं विद्यालय के माहौल की समान रूप से जवाबदेही होनी चाहिए, इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। वास्तव में परीक्षा में असफलता के लिए बच्चे के अलावा शिक्षा प्रणाली भी जवाबदेह है क्योंकि बच्चा कभी भी असफल नहीं होता है, स्कूल प्रणाली भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकती है।

मूल्यांकन प्रणाली में सदैव यह जानने पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को क्या आता है एवं क्या नहीं आता है? मूल्यांकन प्रणाली में इस बारे में जाँच–पड़ताल करने की गुंजाइस होनी ही चाहिए कि बच्चे को इन सबके अलावा क्या–क्या आता है। मूल्यांकन में सीखने के क्षेत्रों को परम्परागत विषयों तक सीमित कर दिया जाता है तथा व्यक्तिगत विविधता का बखूबी हनन किया जाता है। परम्परागत हुनर, कौशल एवं समझ की उपेक्षा की जाती है।

इसी प्रकार तृतीय है विद्यालयी पाठ्यचर्याः जिसके नियोजन एवं क्रियान्वयन में परम्परागत स्वरूप अधिभावी है। परन्तु कुछ खामियों को यहाँ बताना बहुत जरूरी है। जैसे– विद्यालयी विषयों

की विषय वस्तु बच्चे के अपने परिवेश एवं वातावरण से सम्बन्धित नहीं होती है। बच्चा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ नहीं पाता है। सूचनाओं के संग्रहण एवं रटन्त प्रणाली का संवाहक बनकर रह जाता है। विद्यालयी पाठ्यचर्या विद्यालय अनुभवों एवं जीवन के बीच ठोस रिश्ता स्थापित करने में असमर्थ रही है। विद्यालयी अनुभवों एवं जीवन के बीच अन्तराल बढ़ने पर बच्चे के बहिष्करण का खतरा बढ़ जाता है। पाठ्यवस्तु, चित्र, उदाहरण अधिकतर शहरी मध्यम वर्ग को प्रतिबिम्बित करते हैं। यह आम गैर शहरी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं यह बच्चे की आत्मछवि एवं अस्मिता को भी प्रभावित करता है, अपनी संस्कृति के प्रति हीनता बोध पैदा करता है।

अतः चतुर्थ है बच्चे की अस्मिता के प्रति शिक्षक का नजरियाः जो बच्चे के समाज, संस्कृति, परिवेश के प्रति बच्चे के नजरिए के प्रति जब शिक्षक संवेदनशील नहीं है, बच्चे के नजरिए का सम्मान नहीं करता है, किसी विशेष समूह के प्रति हेय दृष्टिकोण रखता है बच्चे का अपने समाज, संस्कृति, परिवेश के प्रति नजरिया बदल जाता है और बहुधा वह हेय समझने लगता है, स्वंय को वह दीन–हीन समझने लगता है। इसकी परिणति पलायन के रूप में होती है। यदि विद्यालयी वातावरण बच्चे के लिए असहज, असुरक्षित, अपमानित करने वाला, हीनता भाव पैदा करने वाला है तो बच्चे के शिक्षा से बहिष्करण के खतरे बढ़ जाते हैं। यह भी एक कटु सत्य है कि वंचित वर्ग एवं विशेष आवश्कता वाले बच्चों के साथ अक्सर ऐसा देखने में आता है। अतः स्वंय को विद्यालय में अनफिट मानकर ये बच्चे बहिष्करण की प्रक्रिया अपना लेते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकी चरों के संन्दर्भ में उनकी शैक्षिणिक एवं गैर–शैक्षिणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन को एक शोध शीर्षक के रूप में चयनित किया गया है।

1.2.0 शोध अध्ययन का प्रादुर्भाव एवं औचित्य

भारतीय संविधान की उत्पत्ति में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक एवं व्यक्ति की गरिमा पर विशेष बल दिया गया है एवं उक्त लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक समावेषण को अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। जिनमें विभिन्न जनांकिकी चरों जैसे– भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म व आर्थिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं एवं शिक्षा ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से विद्यार्थियों की विविधता को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के क्षेत्र में पूर्व में हुए शोधों की संक्षिप्त समीक्षा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1 सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

शोधार्थी		निष्कर्ष
गार्डन (2000)	पोवर्टी एंड सोसल एक्सक्लूजन इन ब्रिटेन।	उच्च आर्थिक स्तर के व्यक्तियों की तुलना में निम्न आर्थिक स्तर के व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि गरीबी सामाजिक समावेषण में एक अवरोधन का कार्य करती है
हबर (2001)	द डिफरेंशियल इम्पैक्ट आफ इन्क्लूसन एंड इन्क्लूसिव प्रक्टसिस ऑन हाई, एवरेज एंड लो एचीविंग स्टूडेन्टस।	शोधार्थी द्वारा समावेशी कक्षा में सामान्य व विकलाँग विद्यार्थियों को एक साथ अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित किया एवं यह देखा गया कि विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में प्रथम अवस्था व अध्यनोपरांत के मध्य सार्थक व सकारात्मक प्रभाव पाया गया।
आबरसनिक ोवा (2003)	इम्पैक्ट आफ इनक्लूसन इन जनरल फिजिकल एजूकेशन आन स्टूडेन्टस विदाउट	शोधार्थी द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ गैर–शैक्षणिक क्रियाकलापों में सहभागिता के

	डिसएबिलिटीज।	लिए प्रोत्साहित किया एवं यह देखा गया कि समावेशी समूह में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों ने गैर–शैक्षणिक क्रियाकलापों में सार्थक उपलब्धि की।
पियाने (2006)	मेंटल हेल्थ, पोवर्टी एण्ड सोसल एक्सक्लूजन।	निर्धनता एवं सामाजिक बहिष्कार के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया गया जिसके अन्तर्गत यह पाया गया कि निर्धनता एवं सामाजिक बहिष्कार विद्यार्थियों में हीन भावना पैदा करता है जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
मॉर्गन (2007)	सोसल एक्सक्लूजन एंड मेंटल हेल्थ।	शोधार्थी द्वारा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक बहिष्करण के सन्दर्भ में संरचनात्मक विश्लेषण किया गया। जिसके अन्तर्गत यह पाया कि सामाजिक बहिष्करण का युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
बोडमैन (2010)	सोसल इनक्लूजन एंड मेंटल हेल्थ।	विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक सहसंबन्ध होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिन विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा पाया गया है उन विद्यार्थियों में सामाजिक समावेषण की भावना उच्च पायी गयी।
दुर्गा प्रसाद (2013)	भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं सामाजिक समावेषण।	लेखक ने भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं सामाजिक समावेषण के मध्य की कडी का विश्लेषण किया एवं विकेन्द्रीकरण को सामाजिक समावेषण को बढावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कडी के रूप में इगित किया।

हैलेन (2013)	द इम्पैक्ट आफ साइकोसिस ऑन सोसल इनक्लूसन एण्ड एसोसियेटेड फेक्टर।	जातिगत विविधता का सामाजिक समावेषण पर नकारात्मक प्रभाव पाया गया। अतः कहा जा सकता है कि जातिगत विविधता समाजिक समावेषण के लिए एक अवरोधक अंग है।
राइट (2013)	कांसेप्ट ऑफ सोसल इन्क्लूसन, एक्सक्लूसन एण्ड मेंटल हेल्थः ए रिव्यू ऑफ इन्टरनेशनल लिटरेचर।	विकलाँग विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक समावेषण निम्न स्तरीय था। अतः यह कहा जा सकता है कि शारीरिक अवरूद्धता सामाजिक समावेषण के लिए नकारात्मक कारक है।
डायसन (2014)	टीचर्स पर्सपैक्टिव्स एण्ड एक्सपीरियेंसिस ऑफ द कॉटेक्स्ट ऑफ सोसल इनक्लूजन विद इन एलीमेंट्री स्कूल इन केनाडा एण्ड चायना।	इस अध्ययन में शिक्षकों के साक्षात्कार के माध्यम से सामाजिक समावेषण हेतु उपयुक्त स्थान एवं क्रियाओं का विश्लेषण किया गया। जिसके अन्तर्गत कक्षा–कक्ष को समावेषण हेतु उपयुक्त स्थान बताया गया है एवं शारीरिक शिक्षा व सामूहिक कार्य को उपयुक्त क्रिया के रूप में सम्मिलित किया गया है।
हाल (2015)	द सोसल इनक्लूसन ऑफ यंग एडल्टस विद इन्टलैक्चुअल डिसएविलिटीजः ''ए फिनोमोलोजी ऑफ देअर एक्सपीरियेंसिस।	इस अध्ययन में मानसिक रूप से विकलांग युवाओं की गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक समावेषण को महत्वपूर्ण अंग माना गया है एवं मानसिक रूप से बिकलांग युवाओं द्वारा यह अनुभव किया गया कि विद्यालयों में उपयुक्त सहक्रियायें न होने के कारण उन्हें आपसी मित्रता बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त नही होते। अतः अध्ययन में यह बताया गया है कि विभिन्न सामूहिक क्रियाओं द्वारा सामाजिक समावेषण को बढ़ाया जा सकता है।

किम (2017)	द मीनिंग ऑफ सोसल इनक्लूजन फार प्यूपिल विद डिसऐविलिटीज इन साउथ कोरिया।	इस अध्ययन में सामाजिक समावेषण के अर्थ को समझने के लिए विकलांग व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया एवं साक्षात्कार के विश्लेषण के आधार पर सहभागिता, सामूहिक क्रियाकलाप एवं आपसी सहयोग को सामाजिक समावेषण के प्रमुख अंगों के रूप में बताया गया है।
गोल्ड (2017)	प्रमोटिंग द सोसल इनक्लूसन एन ऐकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रिन्स ए सेकेन्डरी स्कूल केस स्टडी।	इस अध्ययन में सामाजिक समावेषण एवं शैक्षिक प्रगति के लिए सहायक तकनीकियों का विश्लेषण किया गया है। जिसके अन्तर्गत ''स्टाफ सपोर्ट'' एवं सामूहिक गतिविधियों के लिए अभिप्रेरणा को प्रमुख सहायक तकनीकियों के रूप में इंगित किया गया है।

उक्त शोध अध्ययनों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि शारीरिक अक्षमता, निम्न आर्थिक स्तर व मानसिक अस्वस्थता सामाजिक समावेषण के लिए नकारात्मक कारक के रूप में पाये गये हैं। उक्त शोध अध्ययनों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि अधिकांश अध्ययन बिकलाँगता के सन्दर्भ में सामाजिक समावेषण पर आधारित हैं परन्तु जातिगत विविधता एवं विभिन्न जनांकिकीय चरों जैसे आर्थिक स्तर, लिंग एवं अभिभावकों की शिक्षा के सन्दर्भ में विद्यालयी समावेषण पर अध्ययन नहीं किया गया है जबकि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है एवं शिक्षा के माध्यम से समाज के मापदण्डों व रूढिवादिता को परिमार्जन कर एक पीढी से दूसरी पीढी में स्थान्तरित किया जा सकता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्य भाषा, जाति, धर्म, लिंग व आर्थिक स्तर आदि के सन्दर्भ में अनेक विविधता पायी जाती हैं एवं उक्त विविधता के सन्दर्भ में सामाजिक बन्धुता की भावना का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व में हुए शोधों से यह भी विदित होता है कि सामाजिक बहिष्कार का मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पडता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि अस्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। उपरोक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा निम्नलिख्ति शोध प्रश्नों का निर्माण किया गया।

1 क्या आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण में कोई सार्थक अन्तर पाया जाता है?

2 क्या जनांकिकीय चरों जैसे– लिंगभेद, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति के सन्दर्भ में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण में कोई सार्थक अन्तर पाया जाता है?

3 क्या आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक उपलब्धि के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर पाया जाता है?

4 क्या विद्यालयी सामाजिक समावेषण आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करता है?

5 क्या विद्यालयी सामाजिक समावेषण आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गैर–शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करता है?

6 क्या जनांकिकीय चरों एवं सामाजिक समावेषण के सन्दर्भ में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर पाया जाता है?

7 क्या जनांकिकीय चरों एवं सामाजिक समावेषण के सन्दर्भ में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गैर–शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर पाया जाता है?

उपरोक्त शोध प्रश्नों के निस्तारण एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक

समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी शैक्षिणिक एवं गैर–शैक्षिणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन को एक शोध शीर्षक के रूप में चयनित किया गया है।

1.3.0 शोध शीर्षक

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी शैक्षिणिक एवं गैर–शैक्षिणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन।

1.4.0 शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

1.4.1 माध्यमिक विद्यालय

माध्यमिक विद्यालय उन विद्यालयों को कहा जाता है जिसमें 12वीं तक की मान्यता प्राप्त हो। प्रस्तुत शोध अध्ययन में डी0 ई0 आई0 शैक्षिक प्रबन्धन द्वारा संचालित हाईस्कूल व इन्टरमीडियेट कक्षाओं के विद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।

1.4.2 आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग

केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जिन जाति समूहों को अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडी जाति में सम्मिलित किया गया है वह आरक्षित वर्ग कहलाते हैं। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जिन जाति समूहों को सामान्य जाति के रूप में मान्यता दी है वे समूह अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को आरक्षित वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

1.4.3 विद्यालयी सामाजिक समावेषण

लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशानिर्देशन प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे

जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक समाज में बच्चे के समुचित समावेषण हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके।

समावेषण शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेषण के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेषण को परिभाषित करता है। समावेषण की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

विद्यालय समाज की एक लघु संस्था है जो समाज के विभिन्न मूल्यों एवं मानकों को परिमार्जित कर एक पीढी से दूसरी पीढी में स्थानान्तरित करती है। विद्यालयी समाज विद्यार्थियों के वास्तविक समाज का एक दर्पण होता है। अतः लोकतांत्रिक मूल्यों के अन्तर्गत विद्यार्थियों के मध्य बिना किसी जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक आदि के सन्दर्भ में बन्धुता एवं सहयोग की भावना विद्यालयी सामाजिक समावेषण को दर्शाती है। विद्यालयी सामाजिक समावेषण के मूल्यांकन में कक्षागत् शिक्षक व्यवहार, साथियों के साथ अन्तःक्रिया एवं सामाजिक प्रतिक्रिया आदि को सम्मिलित किया जायेगा।

1.4.4 जनांकिकीय चर

विद्यार्थियों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं जैसे लिंग, आयु, आर्थिक स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति आदि को जनांकिकीय चरों के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में लिंग भेद, आर्थिक स्तर, अभिभावकों की शैक्षिक स्थिति को जनांकिकीय चरों के अन्तर्गत प्रयुक्त किया जायेगा।

1.4.5 शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक उपलब्धि

शैक्षणिक उपलब्धि के अन्तर्गत विद्यार्थियों की मुख्य विषयों में उपलब्धि का आंकलन किया जाता है जबकि गैर–शैक्षणिक प्रगति के अन्तर्गत विद्यार्थियों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी, अनुशासन, विद्यालयी समायोजन, नैतिक मूल्य, आपसी सहयोग की भावना आदि पक्षों को

सम्मिलित किया जाता है। अतः प्रस्तुत शैक्षणिक उपलब्धि के अन्तर्गत मुख्य विषयों की वार्षिक परिणामों के सम्मिलित किया जायेगा।

इसी प्रकार गैर–शैक्षणिक उपलब्धि के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे– पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी, अनुशासन, विद्यालयी समायोजन, नैतिक मूल्य व आपसी सहयोग की भावना आदि के वार्षिक मूल्यांकन को सम्मिलित किया जायेगा।

1.5.0 अध्ययन के उद्देश्य :

1 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का अध्ययन करना।

2 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का अध्ययन करना।

3 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में सामाजिक समावेषण का अध्ययन करना।

5 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में सामाजिक समावेषण का अध्ययन करना।

6 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में सामाजिक समावेषण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

7 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

8 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी शैक्षिणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

9 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी शैक्षिणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

10 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी शैक्षिणिक उपलब्धि का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

11 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गैर–शैक्षिणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

12 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी गैर–शैक्षिणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

13 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी गैर–शैक्षिणिक उपलब्धि का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

14 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण व जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में उनकी गैर–शैक्षिणिक उपलब्धि का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

1.6.0 शोध की परिकल्पना :

1. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

2. जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य उनके विद्यालयी सामाजिक समावेषण में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

3. जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य उनके विद्यालयी सामाजिक समावेषण में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

4. जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य उनके विद्यालयी सामाजिक समावेषण में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

5. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

6. जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

7. जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

8. सामाजिक समावेषण एवं जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिणिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

9. माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गैर–शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

10. जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का उनकी गैर–शैक्षणिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

11. जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का उनकी गैर–शैक्षणिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

12. सामाजिक समावेषण एवं जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गैर–शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

1.7.0 अध्ययन की शोध विधि :

प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का जनांकिकीय चरों के संन्दर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन किया जाएगा एवं उक्त चरों के संन्दर्भ में विद्यार्थियों की शैक्षणिक व गैर–शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक विश्लेषण किया जायेगा। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में ***"वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि"*** का अनुसरण किय जायेगा।

1.8.0 शोध अध्ययन के चर

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत प्रथम चरण में जनांकिकी चरों के सन्दर्भ में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का अध्ययन किया जायेगा। अतः उक्त चरण के अन्तर्गत जनांकिकीय चरों को स्वतन्त्र एवं विद्यालयी सामाजिक समावेषण को आश्रित चर के रूप में स्वीकार किया जायेगा। जबकि द्वितीय चरण के अन्तर्गत

विद्यालयी सामाजिक समावेषण एवं जनांकिकीय चरों के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक उपलब्धि का विश्लेषण किया जायेगा। अतः द्वितीय चरण के अन्तर्गत विद्यालयी सामाजिक समावेषण एवं जनांकिकीय चरों को स्वतन्त्र और विद्यार्थियों की शैक्षणिक व गैर–शैक्षणिक उपलब्धि को आश्रित चर के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

1.9.0 शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत शोध के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

1 विद्यालयी सामाजिक समावेषण मापनी–

विद्यालयी सामाजिक समावेषण के मापन हेतु कोई प्रमापीकृत उपकरण नहीं है अतः शोधार्थी द्वारा उक्त मापनी का निर्माण किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य बिना किसी जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक आदि के सन्दर्भ में दृष्टिकोण, बन्धुता एवं सहयोग की भावना का मापन किया जायेगा ।

2 जनांकिकीय चरों का मापन–

प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा विद्यार्थियों की सामान्य व व्यक्तिगत सूचनायें जैसे– नाम, विद्यालय का नाम, आयु, लिंग, आर्थिक स्तर, अभिभावकों का शैक्षिक स्तर आदि के आंकलन हेतु जनांकिकीय सूचना प्रारूप का निर्माण किया जायेगा ।

3 शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन–

शैक्षणिक उपलब्धि के अन्तर्गत विद्यार्थियों की विद्यालयी मुख्य विषयों में उपलब्धि का आंकलन किया जाता है जबकि गैर–शैक्षणिक उपलब्धि के अन्तर्गत विद्यार्थियों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी, अनुशासन, विद्यालयी समायोजन, नैतिक मूल्य, आपसी सहयोग की भावना आदि पक्षों का आकलन किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में डी0 ई0

आई0 शैक्षिक प्रबन्धन द्वारा संचालित हाईस्कूल व इन्टरमीडियेट कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक उपलब्धि के अन्तर्गत वार्षिक अंक/ग्रेड का विश्लेषण किया जायेगा।

1.10.0 शोध अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में डी0 ई0 आई0 शैक्षिक प्रबन्धन द्वारा संचालित हाईस्कूल व इन्टरमीडियेट कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को जंनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया जायेगा एवं स्तरीयकृत न्यादर्श प्रविधि की सहायता से आरक्षित वर्ग के कुल 400 विद्यार्थी (200 छात्र एवं 200 छात्रायें) व अनारक्षित वर्ग के कुल 400 विद्यार्थी (200 छात्र एवं 200 छात्रायें) को न्यादर्श समूह में चयनित किया जायेगा। चयनित न्यादर्श की रूपरेखा को निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 2– न्यादर्श चयन हेतु रूपरेखा

जातिगत श्रेणी	लिंग		कुल
	छात्र	छात्रायें	
आरक्षित वर्ग	200	200	400
अनारक्षित वर्ग	200	200	400
योग	400	400	**800**

उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित न्यादर्श में कुल 800 विद्यार्थियों जिसमें 400 आरक्षित वर्ग के एवं 400 अनारिक्षत वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा और आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग में 200–200 छात्र–छात्राओं को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

1.11.0 शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियां–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आंकडों की प्रकृति एवं विश्लेषण की आवश्यकतानुसार शोधार्थी द्वारा वर्णनात्मक एवं निष्कर्षणात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा।

- वर्णनात्मक सांख्यिकीय– माध्य, मानक विचलन, चतुर्थांक विचलन एवं प्रतिशत
- निष्कर्षणात्मक सांख्यिकीय– C R- अनुपात, ANOVA एवं पोस्ट हॉक टेस्ट

1.12.0 शोध अध्ययन की सीमायें–

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में डी0 ई0 आई0 शैक्षिक प्रबन्धन द्वारा संचालित हाईस्कूल व इन्टरमीडियेट कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को जंनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया जायेगा ।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत कुल 800 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 400 आरक्षित एवं 400 अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।
3. प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत जनांकिकीय चरों के अन्तर्गत लिंग, आर्थिक स्तर व माता–पिता के शैक्षिक स्तर को सम्मिलित किया जायेगा एवं उक्त के सन्दर्भ में आरक्षित व अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के विद्यालयी सामाजिक समावेषण का अध्ययन किया जायेगा। तदोपरान्त जनांकिकीय एवं विद्यालयी सामाजिक समावेषण के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक उपलब्धि का विश्लेषण किया जायेगा। अतः विद्यालयी सामाजिक समावेषण, जनांकिकीय चर, शैक्षणिक व गैर–शैक्षणिक उपलब्धि को शोध के मुख्य चरों के रूप में सम्मिलित किया गया है।
4. प्रस्तुत शोध अध्ययन के चरों के मापन हेतु प्रमापीकृत उपकरण उपलब्ध न होने के कारण शोधार्थी द्वारा उपकरणों का स्वंय निर्माण किया जायेगा।
5. प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकडों का विश्लेषण किया जायेगा एवं प्रयुक्त शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का अनुसरण किया जायेगा
6. प्रस्तुत शोध अध्ययन में आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को एवं अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत सामान्य जाति के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा।

1.13.0 प्रस्तावित अध्ययन अध्याय

प्रथम अध्याय

शोध समस्या की पृष्ठभूमि

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

तृतीय अध्याय

अध्ययन विधि

चतुर्थ अध्याय

आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन

पंचम अध्याय

शोध अध्ययन की उपलब्धियाँ, निष्कर्ष एवं विवेचन

****

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

एडवर्डस ए एल (1967) स्टेटिसटीकल मैथडस। न्यू यार्क हाल्ट राइनेहार्ट एण्ड विन्टन

बोर्डमेन जे (2010) सोसल इनक्लूजन एंड मेंटल हेल्थ। लन्दन रायल कॉलेज ऑफ साइकट्रिस्टस।

बुच एम बी (1974) अ सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन, बढ़ोदा केस एम एस यूनिवर्सिटी 618

बैस्ट जॉन डब्ल्यू (1977) रिसर्च इन एजूकेशन, एंगलवुड क्लिफस न्यू जर्सी प्रेन्टिस हाल 403

कर्लिंगर फेडन एन (1964) फाउडेसन्स आफ बिहेविअरल रिसर्च न्यू यार्कः हाल्ट राइनेहार्ट एण्ड विन्सटन 741

कुक डी आर एण्ड एन के लाफिअर (1975) ए गाइड आफ एजूकेशनल रिसर्च, बोस्टनः एलाइन एण्ड बैकोन

मोर्गन सी (2007) सोसल एक्सक्लूजन एंड मेंटल हेल्थ। कोंसेपचुअल एण्ड मैथडोलोजीकल रिव्यू। ब्रिटिस जर्नल ऑफ साइकेट्री, 191, 477–488

किम (2017) द मीनिंग ऑफ सोसल इनक्लूजन फार प्यूपिल विद डिसऐविलिटीज इन साउथ कोरिया। इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ डिसएविलिटी, डवलपमेंट एण्ड एजूकेशन वोल्यूम–64(1) पेज 19–32।

पियाने एस (2006) मेंटल हेल्थ, पोवर्टी एण्ड सोसल एक्सक्लूजन। द मिलिनियम सर्वे (285–311) ब्रिसटलः द पोलिसी प्रेस

गिलफोर्ड जे पी एण्ड बी फुचटर (1978) फन्डामेन्टल स्टेटिसटिक्स इन्साक्लोजी एण्ड एजूकेशन। टोकियोः मेग्रॉ हिल कोगाकुशा लि.

हबर,, के डी (2001) द डिफरेंशियल इम्पैक्ट आफ इन्क्लूसन एंड इन्क्लूसिव प्रक्टसिस ऑन हाई, एवरेज एंड लो एचीविंग स्टूडेन्टस। साइक्लोजी इन द स्कूल, 38(6), 497–504

हाल (2015) द सोसल इनक्लूसन ऑफ यंग एडल्टस विद इन्टलैक्चुअल डिसएविलिटीजः ''ए फिनोमोलोजी ऑफ देअर एक्सपीरियेंसिस। पीएच0 डी0 शोध ग्रंथ यूनीवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का

हेज, डब्ल्यू एल (1973) स्टेटिसटिक्स फोर द सोसल साइंस। न्यू यार्कः हाल्ट राइनेहाल्ट एण्ड विन्सटन

हेलन केलेस्पी (2013) द इम्पैक्ट आफ साइकोसिस ऑन सोसल इनक्लूसन एण्ड एसोसियेटेड फेक्टर। साइकेट्रिक मेन्टल हेल्थ जर्नल फरबरी 20 (1) पेज 71–81

राइट एन (2013) कांसेप्ट ऑफ सोसल इन्क्लूसन, एक्सक्लूसन एण्ड मेंटल हेल्थः ए रिव्यू ऑफ इन्टरनेशनल लिटरेचर साइकेट्रिक मेन्टल हेल्थ जर्नल जनवरी 7 (1) पेज 15–24

शैवलिन, एम (2000) क्रियेटिंग अपोर्चुनिटीज फोर कोन्टेक्ट बिटवीन मैनस्ट्रीम प्यूपिल्स एंड देअर काउन्टरपार्टस विद लर्निंग डिफीकलटीज। ब्रिटिस जर्नल आफ स्पेसल एजूकेशन। 27(1), 29–34

डायसन (2014) टीचर्स पर्सपैक्टिव्स एण्ड एक्सपीरियेंसिस ऑफ द कॉटेक्स्ट ऑफ सोसल इनक्लूजन विद इन एलीमेंट्री स्कूल इन केनाडा एण्ड चायना। जर्नल ऑफ इन्टरनेशनल एशोसियेशन ऑफ स्पेशल एजूकेशन, वोल्यूम–15(2) पेज 108–117।

आबरसनिकोवा, आई (2003) इम्पैक्ट आफ इनक्लूसन इन जनरल फिजिकल एजूकेशन आन स्टूडेन्टस विदाउट डिसएबिलिटीज। एडप्टेड फिजीकल एक्टिविटी क्वार्टर्ली। 20(3), 230–245

गोल्ड (2017) प्रमोटिंग द सोसल इनक्लूसन एन ऐकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रिन्स ए सेकेन्डरी स्कूल केस स्टडी। एजूकेशनल साइक्लोजी इन प्रक्टिस वोल्यूम–33(2) पेज 126–148।

गॉर्डन डी (2000) पोवर्टी एंड सोसल एक्सक्लूजन इन ब्रिटेन। योर्क जोसेफ रोवन्ट्री फाउडेशंस

गैरट एच ई (1967) स्टेटिसटिक्स इन साइक्लोजी एण्ड एजूकेशन। बोम्बेः वाकिल्स फेफर एण्ड साइमन्स प्रा. लि.